अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्रीमती सुशीला बनाम चेकू व अन्य।

किस्म मुकदमा–225राज.काश्तकारी अधि. अपील संख्या 305/2022(अजमेर)

आरम्भिक स्वीकार/रिमाण्ड
13/10/22

331/2022
305/2022

	श्री दीपक पारीक एड़वोकेट	
13.10.2022	यह अपील श्री दीपक पारिक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 11.07.2022, प्रकरण संख्या 77/2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी गैर कानूनी रूप से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का पारित कर दिया तत्पश्चात कोई आदेश पारित नही कर मात्र सीले लगाकर आगामी पेशी नियत की जा रही है जिसकी आड में अप्रार्थीण विवादित आराजीयात पर निर्माण कार्य करवाने एवं भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है ऐसी स्थिति प्रार्थी अपने अधिवक्ता महोदय की विधिक सलाह अनुसार उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही हुं ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई सदूभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवदेन किया कि अपीलांट/वादीया द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की खरिदशुदा आराजीयात ग्राम परबतपुरा तहसील व जिला अजमेंर में अवस्थित है। वर्किंग खसरा नम्बर 485 रकबा 07 बिस्वा, नये खसरा नम्बर 324/2009 रकबा 0.06 है0, 499 रकबा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी नये खसरा नम्बर 331/2018 रकबा 0.06, 565 रकबा 15 बिस्वा नये खसरा नम्बर 354 रकबा 0.12, 568 रकबा 02 बीघा नये खसरा नम्बर 356 रकबा 0.32, 458 रकबा 07 बिस्वा नये खसरा नम्बर 331/2017 रकबा 0.06 आराजीयात तात्कालीन खातेदार भंवरलाल उर्फ भंवरिया वल्द हजारी के विधिक वारिसान श्रीमती चेकू देवी पत्नि भंवरलाल उर्फ भंवरिया, देवा, गणेश, छोटू पुत्रान भंवरलाल उर्फ भंवरिया के द्वारा दिनांक 22.08.1995 को अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो के पिता रामकरण पुत्र हजारी के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा शेष राशि भी रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 को प्रदान कर दी गई थी इस प्रकार से अपीलांट उक्त आराजीयात पर आदिनांक तक निरतंर काबिज काश्त चली आ रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसरण विवादित आराजीयात बाबत रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के हक एवं अधिकारों को पर्यावसन होकर अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 निहित हो चुका है तथा रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 अपीलांट के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में दखलअंदाजी मदालखत उत्पन्न करने तथा बेदखली का नाजायज प्रयास करने पर सख्त आमादा है तथा विवादित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

331/305/2022

आराजीयात पर अन्यत्र रहन, बेचान,बय,मुन्तकिल करके प्लाटिंग करने तथा निर्माण कार्य करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि यह सफल हो गये तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी अतः रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.06.2022 को विवादित आराजीयात बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया तत्पश्चात दिनांक 22.06.2022, 23.06.2022, 28.06.2022 व 30.06.2022 को पत्रावली बाबत सील, मोहर अंकित कर तारिख प्रदान कर दी तत्पश्चात उक्त पत्रावली बाबत दिनांक 07.07.2022 एवं 11.07.2022 को भी विवादित आराजीयात बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु बहस अंकित कर फौरी तौर पर आगामी पेशी प्रदान कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात बाबत वाद बाहुल्यता रोकने हेतु रेस्पोडेन्टस को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 11.07.2022 के द्वारा आगामी पेशी प्रदान कर रेस्पोडेन्टस को विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द करने तथा अन्यत्र रहन, बेचान, बय, मुन्तकिल करने की खुली छूट प्रदान कर दी है जिसकी आड में रेस्पोडेन्टस के द्वारा मृतक भंवरिया के विरासत का नामांतरण राजस्व वाद विचाराधीन होने के बावजूद अपने नाम दिनांक 07.06.2022 को तस्दीक करवा लिया तत्पश्चात दिनांक 21.06.2022 को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया जिसका नामांतरण 402 दिनांक 21.06.2022 को जमाबंदी में तस्दीक करवा लिया तथा अभी हाल ही में रेस्पोडेन्टस के द्वारा विवादित आराजीयात को पुनः अन्य व्यवितयों को बेचान कर दिया है जिसका नामांतरण संख्या 420 दिनांक 06.10.2022 को तस्दीक करवा लिया है इस प्रकार विवादित आराजीयात पर मौके पर निर्माण कार्य करने के कारण तथा मौके पर लडाई झगडा एवं मारपीट की पूर्ण संभावना बनी हुई तथा रेस्पोडेंटस एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान, बय, मुंतकिल किये जाने पर सख्त आमादा हो रहे है जिन्हे की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2022 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात बाबत रहन, बेचान, बय, मुंतकिल एवं निर्माण कार्य नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझतें है। हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन एवं अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कारण अंकित किये है वे सद्भाविक एवं उचित प्रतीत होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र. स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस द्वारा दिनांक 22.08.1195 को कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 को विक्रित आराजीयात का प्रतिफल प्रदान किया जा चुका था तथा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के हक एवं अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर

331/305/2022

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजीयात को राजस्व वाद के विचाराधीन होने के वावजूद वेचान किया जा रहा है जिससे वाद बाहुल्यता एवं मौके पर विवाद एवं लडाई–झगडे की पूर्ण संभावना प्रतीत होती है। माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात का संरक्षण किया जाना न्यायालय दायित्व है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद पर किसी भी प्रकार की टिका टिप्पणी किये विना वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को इसी स्तर न्यायहित में निर्णित किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें तब तक उभयपक्ष को विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने से पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 का निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर